कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें

आज के युवाओं की सोच कॉन्ट्रैक्ट में लिखी शर्तों को ले कर एकदम साफ है। शादी के बाद कोई झगड़ा या कोई तनाव ना हो, इसलिए पहले ही हर छोटी-बड़ी बात लिखवा ली जाती है। हां, यह बात दूसरी है कि किसी भी समझदार व्यक्ति को यही शर्तें तनाव की वजह लग सकती हैं। जैसे-

- घर का खर्च कौन उठाएगा।
- पत्नी का लोन पति चुकाएगा।
- दोनों के माता-पिता घर आएंगे या नहीं और आएंगे तो कितनी बार आएंगे।
- माता-पिता की जिम्मेदारी उठाने से पत्नी मना नहीं करेगी।
- शादी के बाद बच्चे कितने होंगे।
- डिलीवरी का खर्च कौन उठाएगा।
- बच्चों की देखभाल कौन करेगा। उन्हें स्कूल कौन छोड़ेगा और वापस कौन लाएगा।
- सुबह बच्चों को स्कूल के लिए तैयार कौन करेगा।
- मेड की तनख्वाह कौन देगा।
- पत्नी ऑफिस में पति को फोन करके परेशान नहीं करेगी।
- महीने में कितनी बार आउटिंग होगी और कितनी बार बाहर घूमने जाएंगे।
- पति सेक्स के लिए दबाव नहीं डालेगा।
- दोनों के फ्रेंड सर्कल पर किसी को एतराज नहीं होगा। दोनों के दोस्त घर भी आएंगे।
- कोई ऑफिस के काम से बाहर जाएगा तो पार्टनर नहीं पूछेगा कि किसके साथ थे, किसके रूम में थे।
- यदि लिवइन में रहने के लिए कॉट्रैक्ट बनवाया है, तो शारीरिक संबंध तो बनेंगे पर बच्चे नहीं होंगे। इसके लिए प्रीकॉशन लेना लड़की की जिम्मेदारी होगी।
- सप्ताह में सेक्स कितनी बार होगा।
- नेचुरल और अननेचुरल दोनों तरह से सेक्स होगा।
- पिछली जिंदगी के बारे में कुछ पता चलने पर कोई पूछताछ नहीं करेगा।
- यदि बात तलाक तक पहुंची, तो घर पर किसका हक होगा और पति कितनी एलीमनी और मेंटेनेंस देगा।
- पत्नी पति के खिलाफ किसी तरह का कोई केस दायर नहीं करेगी।

कॉन्ट्रैक्ट में लिखी शर्तों को यदि दोनों में से कोई पार्टनर तोड़ेगा, तो उसे कुछ पैसे भी हर्जाने के तौर पर देने होंगे।

कॉन्ट्रैक्ट स्वार्थ का

गुड़गांव की एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करनेवाली मेघा रहेजा एक विदेशी से शादी करना चाहती थी, पर घरवालों को भी नहीं बताना चाहती थी। एडवोकेट की फीस के अलावा वह अतिरिक्त पैसे भी देने को तैयार थी।

कहीं उसे एक विदेशी मिला। उसके साथ दोस्ती हुई और वह दोस्ती होटल के कमरे तक भी पहुंच गयी। लड़की का प्लान था कि वह शादी करके अमेरिका जाएगी, वहां जा कर तलाक लेगी और पति से एलीमनी लेगी फिर नौकरी करेगी और खूब पैसे कमा कर वापस इंडिया आ कर शादी करेगी। मेघा का कहना था कि मेरे फादर आर्मी में हैं। उन्हें मेरे बारे में सिर्फ इतना ही पता है कि मैं गुड़गांव में जॉब करती हूं और बतौर पेइंग गेस्ट रहती हूं। इससे ज्यादा ना मैं उन्हें बताती हूं, ना वे पूछते हैं।

लिवइन के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट

लिवइन रिलेशन में भी लोग कॉन्ट्रैक्ट बनवाते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी की एक लेक्चरर ने एक ऐसे व्यक्ति के साथ रहने का फैसला किया जिसका अपनी पत्नी के साथ तलाक होनेवाला था। कॉन्ट्रैक्ट में पहली शर्त थी कि उसके पार्टनर का तलाक होने के बाद वे दोनों शादी करेंगे।

दूसरी शर्त थी कि पुरुष घर का सारा खर्च उठाएगा, पर पत्नी के पैसों के बारे में कोई पूछताछ नहीं करेगा। तीसरी शर्त थी कि दोनों में से किसी के भी माता-पिता घर में नहीं आएंगे, ना ही कोई अपने पार्टनर पर अपनी फैमिली में जाने के लिए दबाव डालेगा।

यूएसए में रहनेवाले मनीष और रीना ने साथ रहने के लिए अपने आप ही कॉन्ट्रैक्ट बना लिया। कुछ समय के बाद रीना गर्भवती हो गयी। उसने शादी के लिए मनीष पर दबाव डाला, तो मनीष ने साफ कह दिया कि यह हमारे कॉन्ट्रैक्ट में नहीं था। तुम्हें प्रीकॉशन लेना चाहिए था। यह तुम्हारी ड्यूटी थी। लड़की ने भारत आ कर एबॉर्शन कराया और लड़के के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दायर कर दिया। रीना ने पहले शारीरिक संबंध के दौरान इस्तेमाल की गयी बेडशीट संभाल कर रखी, जिसे बाद में सबूत के तौर पर पेश किया।

बढ़ती इन्सिक्योरिटी

आखिर किस ओर जा रहे हैं हमारे ये रिश्ते। साफ है कि आज के मॉडर्न युवा ना तो सात फेरों में यकीन करते हैं और ना ही *आई* डू से इन्हें तसल्ली होती है। शादी को अब ये जुआ मान कर अपनी तकदीर नहीं आजमाते, जिसमें जैसा साथी मिला उसके साथ निभाना ही पड़ेगा। शादी अब समझौता नहीं है जिसमें अपने पार्टनर के साथ थोड़ा एडजस्ट करना अच्छा लगता है। रिश्तों में 'मैं' की भावना इस कदर महत्त्वपूर्ण हो चुकी है कि कोई अपना लाइफस्टाइल किसी के लिए बदलना नहीं चाहता। तभी तो शादी से पहले बननेवाले एग्रीमेंट में साफ-साफ कह दिया जाता है कि ना तुम मेरी जिंदगी में दखल देना, ना मैं तुमसे कोई सवाल पूछूंगा। एडवोकेट हसन अंजर का कहना है कि ''यह हमारे सामाजिक मूल्यों में बदलाव की ओर संकेत करता है। लड़के किसी मुकदमेबाजी से बचने के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं और पहले ही यह तय कर लेते हैं कि कोई भी पार्टनर दूसरे के खिलाफ कोई केस नहीं करेगा। वहीं लड़कियां यह सुनिश्चित करना चाहती हैं कि यदि शादी कोर्ट में पहुंच जाए, तो फिर उसे कितना मुआवजा मिलेगा।''

वाकई आज के युवाओं की सोच ही बीमार सी हो गयी है। यही वजह है कि ये लोग शादी को झंझट या पचड़ा समझते हैं, इसीलिए दोनों हाथों में लड्डू चाहते हैं। एक तरफ शादीशुदा होने का लेबल और दूसरी तरफ पूरी छूट का कॉन्ट्रैक्ट।

लीगल नहीं है कॉन्ट्रैक्ट

मॉडर्न युवा भले ही ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को सुरक्षा की गारंटी मानते हों पर कानून इसे नहीं मानता। इसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है। ना ही इसके आधार पर आप साथी के खिलाफ कोई केस दायर कर किसी प्रकार का हक मांग सकते हैं।

एडवोकेट वी. के. सिंह का कहना है, ''विदेशों में चल रहे इन कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जब भारतीय युवाओं को पता चलता है, तो वे इसे अपनाना चाहते हैं। पर वे यह भूल जाते हैं कि वहां का समाज व्यक्तिवादी समाज है जहां पर तलाक, कई शादियां, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेअर आम बात है। वहां पर इन एग्रीमेंट्स के सहारे ही रिश्ते चलते हैं और प्रॉपर्टी का फैसला होता है। पर भारत में ऐसा नहीं है। यहां कोर्ट ऐसे किसी एग्रीमेंट में लिखी बातों के आधार पर किसी को कोई अधिकार नहीं दिला सकता।''

लोग ये जानते-समझते हुए भी कॉन्ट्रैक्ट कराना चाहते हैं, तो इससे यही सिद्ध होता है कि आज रिश्ते कितने खोखले हो चुके हैं। वैसे भी जो रिश्ते सिर्फ पैसे और शारीरिक संबंधों की नींव पर टिके हों वे कभी मजबूत नहीं हो सकते। कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आप लाइफ तो चला सकते है, पर रिश्ते नहीं बना सकते।

ऑस्ट्रेलिया से शुरू हुआ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का यह चलन आज यहां के अलावा अमेरिका, यूके, जरमनी, फिलीपींस, टर्की, इटली और सिंगापुर आदि देशों में वैध है, पर भारत में नहीं है।

◆ निष्ठा गांधी

लेख में दिए गए सभी नाम परिवर्तित हैं।